संख्या:25/2026/662ई-2/तेरह-2026-1989246

प्रेषक,

दयाराम

उप सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आबकारी आयुक्त

उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आबकारी अनुभाग-2 लखनऊ::दिनांक: 09 सितंबर, 2026

विषयः-गुड ड्रॉप वाइन सेलर्स प्रा.लि., अराजी नं.-96 व 96 Mi, ग्राम-बिलसराय, तहसील-अकबरपुर, जनपद-कानपुर देहात की वार्षिक क्षमता 20,00,000 (बीस लाख मात्र) लीटर निर्धारित किये जाने के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या:जी-29/दो-प्रा.डी.-295/गुड ड्रॉप वाइन, दिनांक 31-07-2026 एवं पत्र संख्या:जी-38/दो-प्रा.डी.-295/गुड ड्रॉप वाइन, दिनांक 20-08-2026 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त पत्र दिनांक 31-07-2026 एवं 20-08-2026 में आप द्वारा की गयी संस्तुति/प्रस्ताव पर सम्यक विचारोपरान्त राज्य के राजस्व एवं औद्योगिक हित तथा निवेश एवं रोजगार संवर्धन के दृष्टिगत गुड ड्रॉप वाइन सेलर्स प्रा.लि., अराजी नं.-96 व 96 Mi ग्राम-बिलसराय, तहसील-अकबरपुर, जनपद-कानपुर देहात को उत्तर प्रदेश द्राक्षासवनी (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2022 के क्रम में इकाई की वार्षिक उत्पादन क्षमता 9,75,000 (नौ लाख पचहत्तर हजार मात्र) लीटर से बढ़ाकर 20,00,000 (बीस लाख मात्र) लीटर वार्षिक क्षमता निर्धारित किये जाने की अनुमति इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि इकाई द्वारा निम्नलिखित नियमों एवं शर्तों का अक्षरशः अनुपालन करते हुये उत्पादन सुनिश्चित किया जायेगा:-

(1) इकाई द्वारा उत्तर प्रदेश द्राक्षासवनी (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2022 (यथासंशोधित) में उल्लिखित नियम एवं शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) इकाई द्वारा समय-समय पर शासन द्वारा द्राक्षासवनी के संबंध में आबकारी नीति में निर्धारित निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(3) इकाई द्वारा उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जल एवं वायु प्रदूषण हेतु निर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र दिनांक 31-01-2026 में उल्लिखित नियम व शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(4) इकाई द्वारा अग्निशमन विभाग से प्राप्त अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र दिनांक 28-07-2025 में उल्लिखित नियम व शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(5) इकाई द्वारा बढ़ी हुई क्षमता पर द्राक्षासवनी चलाये जाने से पूर्व नियमानुसार अन्य विभागों से सुसंगत अधिनियमों/नियमों के अन्तर्गत अनापत्ति/अनुज्ञा प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(6) आबकारी आयुक्त द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि इकाई पर अद्यतन कोई आबकारी राजस्व बकाया नहीं है।

(7) इकाई द्वारा गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेज (जी.एम.पी.) तथा भारतीय मानक ब्यूरो (बी.आई.एस.) द्वारा निर्धारित मानको का अनुपालन करते हुए उत्पादन सुनिश्चित किया जायेगा।

(8) इकाई द्वारा भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) द्वारा निर्धारित मानकों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(9) इकाई द्वारा उत्पादित की जाने वाली विभिन्न श्रेणी की वाइन हेतु भारतीय मानक ब्यूरो (बी.आई.एस.) द्वारा निर्धारित मानकों एवं प्रसंस्करण की शर्तों का श्रेणीवार अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(10) आबकारी आयुक्त द्वारा प्रदेश स्थित द्राक्षासवनियों द्वारा अपनी अधिष्ठापित क्षमता के अन्तर्गत किये जा रहे उत्पादन के सापेक्ष उपभोग क्षमता का आंकलन कराते हुये अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित कराई जाायेगी।

(11) आबकारी आयुक्त द्वारा इस संदर्भ में लागू अन्य समस्त सुसंगत नियमों/नियमावलियों व शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित कराया जाएगा।

तदनुसार कृपया अग्रेतर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

ह0-/

(दयाराम)

उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।